न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 17 / 2017

1. सुखराम पुत्र बुधराम जाति नायक 2. पूर्णराम पुत्र हुक्माराम जाति नायक 3. मनफूल पुत्र पुरखाराम 4. भूराराम पुत्र उदाराम 5. मांगीलाल पुत्र उदाराम 6. मांगी पुत्र मेघाराम 7. रतीराम पुत्र मेघाराम 8. देवीलाल पुत्र रामस्वरूप 9. रामेश्वर पुत्र पुरखाराम 10. कैलाश पुत्र रतीराम 11. भागीरथ पुत्र सुखराम 12. मोहनलाल पुत्र सुखराम	जाति जाट	निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
13. रामनारायण पुत्र कुम्भाराम 14. जेठाराम पुत्र श्रवण 15. पूर्णराम पुत्र खेमाराम 16. कालूराम पुत्र श्रवणराम 17. गोमन्दराम पुत्र कुम्भाराम 18. कालूराम पुत्र जेठाराम 19. पप्पूराम पुत्र श्रवणराम 20. हनुमान पुत्र लिछमणराम 21. मुखराम पुत्र हुक्माराम 22. प्रकाश पुत्र जेठाराम 23. मन्शाराम पुत्र हुक्माराम 24. ओमप्रकाश पुत्र हेमाराम	जाति नायक	निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

25. मनीराम पुत्र खेमाराम
26. प्रेमकुमार पुत्र लिखमाराम
27. अमीचन्द पुत्र पूर्णराम

जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

28. प्रेम पुत्र नाहरूराम जाति मेहतर निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

29. जगदीश पुत्र जेठाराम
30. लालचन्द पुत्र भोमाराम
31. रामस्वरूप पुत्र खेमाराम
32. मघाराम पुत्र तुलछाराम
33. पूर्णराम पुत्र मुलाराम
34. हुणताराम पुत्र कालूराम
35. रामप्रताप पुत्र लिखमाराम
36. जगदीश पुत्र हजारीराम
37. ओमप्रकाश पुत्र मानाराम
38. महावीर पुत्र लिखमाराम
39. तेजाराम पुत्र खेमाराम
40. पूर्णराम पुत्र हीराराम
41. रामलाल पुत्र रामूराम
42. खेमाराम पुत्र सुरजाराम
43. हरीराम पुत्र जेठाराम
44. रामकृष्ण पुत्र लीलूराम

जाति नायक निवासीगण बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

45. आदराम पुत्र नाहरूराम जाति मेहतर निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. आदराम पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी चक 2 पी.टी.एम. जिला जैसलमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 07.01.2016

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितः–

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री बाबूलाल चांडक अभिभाषक अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 209 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बछरारा की रोही में ख.नं. 71 में 50 बीघा भूमि दिनांक 31.08.69 को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबा राज का अंकन दर्ज चला आ रहा है। अतः रकबा राज के इन्द्राज को कलमजन कर गैरखातेदार टीनैंट होने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने की घोषणा की जावे। वाद पेश होने पर पैरोकार राज ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 07.01.2016 को वादी को उक्त भूमि का गैरखातेदार टीनैंट होने एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के आदेश अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का पेशा काश्तकारी नहीं है। विवादित भूमि उसे कागजों में आवंटित हुई है। उसका कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वह कभी मौका पर आया। विवादित भूमि पर आबादी बसी हुई है एवं आबादी भूमि घोषित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रा.पत्र पेश कर रखा है। अपीलधीन आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत। प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर , नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. को आवंटित थी। राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज होने से उसके द्वारा अधी. न्यायालय में वाद पेश किया। अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। उनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अधी. न्यायालय ने वाद डिक्री करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरूद्ध 08.02.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 07.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें रेस्पों. आदराम को तथाकथित दिनांक 31.08.1969 की आड़ में 50 बीघा आराजी राज का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जबकि विवादित आराजी पर आबादी बसी हुई है व रेस्पों. का कोई कब्जा नहीं है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

पत्रावली पर दिनांक 25.10.2017 को उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई जो दिनांक 30.10.2017 को वास्ते निर्णय नियत की गई जो निर्णय सुनाने से पूर्व प्रकरण हाजा में राजस्थान सरकार पक्षकार होने से राजकीय अभिभाषक द्वारा

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 पेश किया कि उपरोक्त अनवान की अपील श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज की पेशी निश्चित है। यह कि प्रार्थी का निवेदन है कि प्रकरण आवंटन से सम्बन्धित है तथा राज्य पक्ष को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को बतौर अपीलांट बनाया जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे। आवंटन नियम 13 के अनुसार सलाहकार समिति की अभिशंषा पर किया जाना Mandatory है जिसमें तहसीलदार द्वारा आवंटन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को नोटिस दिया जाना निर्देशित है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश में आवंटन के लिए आवेदन देने की तिथि 31.08.1969 एवं उसी दिन 31.08.1969 को आवंटन होना दर्शाया है जो प्रमाणित करता है कि आवंटन तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में रखे बगैर परामर्श के किया है। अतः समस्त आवंटित 50 बीघा भूमि रिज्यूम योग्य होकर रकबा राज घोषित करने तथा आवंटन गैरखातेदार के रूप किया जाना निर्देशित है जो शर्तों की पालना करने पर 10 वर्ष पश्चात गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार नियम दिये जाने में निहित जो शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रा. पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में राज्य पक्ष के राजस्व का ध्यान रखते हुए विवादित भूमि ग्राम बछरारा के ख.नं. 208 व 424 में 12.650है0 भूमि आवंटन नियमों की अवहेलना के कारण रिज्यूम योग्य है। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रा.पत्र की प्रति अभिभाषक रेस्पों. को दी गई जिसका जबाब रेस्पों. अभिभाषक द्वारा दिया गया कि अपील में राजकीय अधिवक्ता सूरतगढ ने दिनांक 30.10.2017 को जो प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सीपीसी प्रस्तुत किया है। वह प्रा.पत्र खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड, खिलाफ न्याय के सिद्धांतों के प्रस्तुत हुआ होने के कारण निम्न तथ्यों के आधार पर निरस्त योग्य है:–

1. यह कि प्रार्थी ने यह प्रा.पत्र अपील सं. 17/2017 में दिनांक 30.10.2017 को प्रस्तुत किया है जो अपील में किये जाने वाले न्यायिक बिन्दुओं से हटकर पेश किया है। प्रार्थी का यह प्रा.पत्र काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से बाहर जाकर प्रस्तुत हुआ होने के कारण निरर्थक प्रा.पत्र की श्रेणी में आता है। इसलिए निरस्त योग्य है।

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. यह कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के द्वारा 07.01.2016 को पारित किया हुआ निर्णय है नीचे के न्यायालय में तहसीलदार एक पक्षकार थे यदि वे उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय से अपने आपको पीडित समझते तो वे भी उचित समय में अपील प्रस्तुत कर सकते थे। उन्होंने अपील उक्त निर्णय के विरूद्ध नहीं की है अर्थात निर्णय को स्वीकारा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अब उक्त अपील में अपीलांट बनकर कुछ भी उजर व एतराज प्रस्तुत करने के कानूनी हकदार नहीं है। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्पष्टतः अस्वीकार योग्य है।

3. यह कि प्रार्थी का यह प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी के द्वारा प्रदत निर्णय की दिनांक से करीब 21 माह की देरी से पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र में इस देरी का कोई ठोस कारण पेश नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रा.पत्र बेहद देरीना से पेश हुआ होने के कारण खारिज योग्य है।

4. यह है कि उक्त अपील में दोनों की पक्षों की बहस हो चुकने के बाद प्रार्थी का यह प्रा.पत्र पेश हुआ है जो न्यायहित में स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश व डिक्री से किसी प्रकार का उजर व एतराज होता तो वे बतौर रेस्पों. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे जो नहीं किये हैं। अब प्रार्थी इस प्रकार के प्रा.पत्र के माध्यम से अपील पर किये जा रहे निर्णय को विलम्बित नहीं कर सकते। प्रार्थी का यह प्रा.पत्र महज अपील के अन्तिम निर्णय को विलम्बित करने की इच्छा से हुआ है जो न्यायहित में खारिज योग्य है। अतः जबाब प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रा.पत्र आधारहीन प्रस्तुत हुआ होने के कारण निरस्त किया जावे। अपील का निर्णय पूर्व में दोनों पक्षों की सुनी गई बहस के आधार पर शीघ्र किया जावे।

प्रा.पत्र के जबाब में रेस्पो. अभिभाषक द्वारा विधिक बिन्दु उठाए हैं जबकि अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.01.2016 में दावा डिक्री का आधार आवंटन आदेश दिनांक 31.08.1969 है जो नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति में रखे बिना जारी किया है जो तहसीलदार द्वारा जारी करना Abi-nitio void है बाबत कोई जबाब नहीं दिया।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श EX4 विवादित आराजी, आराजी राज खाता सं. 1 दर्ज है जिसपर 31.08.1969 को तथाकथित आदेश के garb में 50 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये हैं।

अपील मीमों के साथ फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में सरपंच ग्राम पंचायत देइदासपुर का पत्र जो प्रधान पंचायत समिति को सम्बोधित है में लिखा है कि प्रस्ताव सं. 1 उपसरपंच परमेश्वरी देवी ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम बछरारा की आबादी भूमि के चिपती ख.नं. 424 है जिस पर लगभग 100 परिवार अपने मकान बनाकर निवास कर रहें हैं इसमें पानी की डिग्गी जी.एल.आर. बिजली कनैक्शन भी है। अतः ख.नं. 424 की भूमि आबादी हेतु स्वीकृत करवायी जावे। प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम बछरारा के ख.नं. 424 की भूमि को आबादी भूमि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया एवं अपील मीमों के साथ प्रस्तुत इस आराजी पर बसे लोगों के बिजली पानी के बिल संदर्भित दस्तावेज हैं। अपील मीमों के साथ ग्राम बछरारा का प्रा.पत्र है कि ग्राम बछरारा के खं.नं. 424 की आराजी राज भूमि जिसमें करीब 100 घर बसे हुए हैं को आबादी स्वीकृत करवाने बाबत। श्रीमान जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ के रहने वाले हैं। ग्राम बछरारा की स्वीकृतशुदा आबादी के चिपती हुई ख.नं. 424 की भूमि है जिसमें करीब 30 सालों से आबादी बसी हुई है व करीब 100 परिवार निवास कर रहे हैं। उक्त घरों में बिजली कनैक्शन भी है तथा पानी की डिग्गी व जी.एल.आर. बने हुए है व पंचायत की धर्मशाला भी बनी हुई है। उक्त भूमि रिकार्ड में आराजी राज कृषि भूमि अंकित है जबकि उक्त भूमि पर पिछले 30 सालों में आबादी ही रही है। कभी काश्त नहीं हुई। उक्त भूमि स्वीकृतशुदा आबादी भूमि नहीं होने के कारण यहां के निवासियों को सरकारी योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता और भी काफी परेशानियां आती हैं जिसके कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को आबादी स्वीकृत करवाना चाहते हैं। इस बाबत ग्राम पंचायत देइदासपुरा में भी प्रस्ताव रखा गया जो सर्वसम्मति से पारित किया है जिसकी प्रति संलग्न है। अतः प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रा.पत्र पर गौर किया जाकर ग्राम

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बछरारा की स्वीकृतशुदा आबादी के चिपती हुई ख.नं. 424 की भूमि जिस पर मौका पर आबादी बसी हुई है, को नपवायी जाकर आबादी भूमि स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमावें। इस प्रा.पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि ग्राम बछरारा रोही की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के ख.नं. 424 में 8.537है0 बारानी दोयम आराजी राज दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबे का मय मौजियान व्यक्तियों के साथ मौका पर गया तो उक्त रकबे पर लोगों द्वारा घर बना रखे हुए हैं और मौके पर लोग निवास करते हैं। रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन , उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा संदर्भ विधि का अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अधी. न्यायालय के निर्णय का आधार तथाकथित आवंटन आदेश तहसीलदार सूरतगढ द्वारा हस्ताक्षरित व जारी होना दर्शाया है पर न कहीं कोई despatch नं. है न ही किसी को प्रति पृष्ठांकित है जो पटवारी हल्का को पालना हेतु भेजना Mandatory है जो नहीं होना पाया गया है।

अतः इस आदेश प्रदर्श–1 की Authenticity ही प्रथम दृष्टया संदिग्ध है तथा यह आदेश राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत जारी होना दर्शाया है जो प्रा.पत्र देने की तिथि 31.08.1969 एवं इसी दिन 31.08.1969 को आवंटन आदेश जारी होना दर्शाया है। सन्दर्भ नियम Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for agricultural purpose) Rules 1957 के नियम 13 में आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाना निर्देशित की Bare reading है कि Allotment to be in consultation with Advisory Committee.- (1) All allotments shall be made by the Tehsildar in consultation with an Advisory Committee consisting of –

(i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly in whose constituency the land is situated;

(ii) the Pradhan of the Panchayat Samiti in whose jurisdiction the land is situated or a nominee of such Samiti;

(iii) the Sarpanch of the Village Panchayat in whose jurisdiction the land is situated; and

11/12/15

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(iv) the Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti in whose jurisdiction the land is situated.

(v) Two members of the Scheduled Caste/Schedule Tribe of the Panchayat Samiti of the area. If there are more than two members belonging to Scheduled Caste/ Tribe in a Panchayat Samiti, the Panchayat Samiti concerned shall nominate two members to the Advisory Committee.

(2) The Tehsildar shall give to the members of the Advisory Committee at least one week's notice of the date fixed and intimated to him, the Tehsildar shall carry on the work of allotment in consultation with such members as attend the meeting, particularly the Sarpanch of the Village Panchayat of the village in which the land is situated.

(3) The Tehsildar and the members of the Advisory Committee shall, as far as practicable, visit every village for making the allotment on the spot in a majma-e-am but if this be not possible, the allotment on the spot in a headquarters of a Village Panchayat. The date of visit of the Tehsildar and the Members of the Advisory Committee to a village shall be notified in the Village concerned at least one week in advance.

यह प्रावधान दिनांक 24.03.1960 से प्रभावी है परन्तु तथाकथित आदेश बाद की तिथि 31.08.1969 में जारी होकर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखे बिना जारी होना प्रमाणित होकर Abi-nitio void है जिसे अपास्त करने की कोई मियाद नहीं है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 31.08.1969 व इस आदेश आधारित पश्चातवर्ती उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का आदेश दिनांक 07.01.2016 जिसमें गैरखातेदारी की घोषणा की है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में खातेदारी की घोषणा की जा सकती है, अपास्त योग्य है तथा रेस्पों. का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने से राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 63 iv के प्रावधानुसार खातेदारी अधिकार Extinguish हो चुके हैं तथा इसी अधि. की धारा 183 के प्रावधानुसार रेस्पों. विवादित आराजी पर मियाद के बिन्दु पर कब्जा प्राप्त करना विधि द्वारा वर्जित है।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः राजकीय अभिभाषक प्रा.पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 22 स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश 31.08.1969 व अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2016 को खारिज कर तहसीलदार सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी को रकबा राज दर्ज कर रिकार्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करें तथा विवादित आराजी को आबादी हेतु Set apart करवाने हेतु हितबद्ध पक्षकार अपीलांट्स सन्दर्भ नियमों एवं प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सूरतगढ व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को भेजी जाकर एक माह में पालना रिपोर्ट मंगवाऐं।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. सुखराम पुत्र बुधराम जाति नायक
2. पूर्णराम पुत्र हुक्माराम जाति नायक
3. मनफूल पुत्र पुरखाराम
4. भूराराम पुत्र उदाराम
5. मांगीलाल पुत्र उदाराम — जाति जाट
6. मांगी पुत्र मेघाराम
7. रतीराम पुत्र मेघाराम
8. देवीलाल पुत्र रामस्वरूप
9. रामेश्वर पुत्र पुरखाराम
10. कैलाश पुत्र रतीराम
11. भागीरथ पुत्र सुखराम
12. मोहनलाल पुत्र सुखराम

निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

13. रामनारायण पुत्र कुम्भाराम
14. जेठाराम पुत्र श्रवण
15. पूर्णराम पुत्र खेमाराम
16. कालूराम पुत्र श्रवणराम
17. गोमन्दराम पुत्र कुम्भाराम
18. कालूराम पुत्र जेठाराम
19. पप्पूराम पुत्र श्रवणराम
20. हनुमान पुत्र लिछमणराम
21. मुखराम पुत्र हुक्माराम
22. प्रकाश पुत्र जेठाराम
23. मन्शाराम पुत्र हुक्माराम
24. ओमप्रकाश पुत्र हेमाराम

जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

25. मनीराम पुत्र खेमाराम
26. प्रेमकुमार पुत्र लिखमाराम
27. अमीचन्द पुत्र पूर्णराम

जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

28. प्रेम पुत्र नाहरूराम जाति मेहतर निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

29. जगदीश पुत्र जेठाराम
30. लालचन्द पुत्र भोमाराम
31. रामस्वरूप पुत्र खेमाराम
32. मघाराम पुत्र तुलछाराम
33. पूर्णराम पुत्र मुलाराम
34. हुणताराम पुत्र कालूराम
35. रामप्रताप पुत्र लिखमाराम
36. जगदीश पुत्र हजारीराम
37. ओमप्रकाश पुत्र मानाराम
38. महावीर पुत्र लिखमाराम
39. तेजाराम पुत्र खेमाराम
40. पूर्णराम पुत्र हीराराम
41. रामलाल पुत्र रामूराम
42. खेमाराम पुत्र सुरजाराम
43. हरीराम पुत्र जेठाराम
44. रामकृष्ण पुत्र लीलूराम

जाति नायक निवासीगण बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

45. आदराम पुत्र नाहरूराम जाति मेहतर निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. आदराम पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी चक 2 पी.टी.एम. जिला जैसलमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 17/2017 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ निर्णय दिनांक 07.01.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 11 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट्स व श्री बाबूलाल चांडक अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश 31.08.1969 व अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2016 को खारिज कर तहसीलदार सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी को रकबा राज दर्ज कर रिकार्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करें तथा विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आराजी को आबादी हेतु Set apart करवाने हेतु हितबद्ध पक्षकार अपीलांट्स सन्दर्भ नियमों एवं प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सूरतगढ व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को भेजी जाकर एक माह में पालना रिपोर्ट मंगवाऐं।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफ़सील जेर तादादी मुबलिग...X...) रूपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसबत मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.12.2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर